बिहार सरकार

विधि विभाग

बिहार राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2021

सत्यमेव जयते

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2021

बिहार राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2021

विषय सूची।

खण्ड– ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।

2. बिहार राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद अधिनियम, 2018 (बिहार अधिनियम 01, 2020) की धारा 6 में संशोधन।

3. निरसन एवं व्यावृति।

बिहार राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2021

बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2018 (बिहार अधिनियम 01, 2020) में संशोधन करने के लिए विधेयक।

प्रस्तावना:– केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय उच्चत्तर शिक्षा अभियान योजना को बिहार राज्य में क्रियान्वित करने हेतु बिहार राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2018 (बिहार अधिनियम 01, 2020) अधिनियमित है। बिहार राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2018 (बिहार अधिनियम 01, 2020) की धारा 6 की उपधारा (2) में प्रावधानित है कि उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। उपाध्यक्ष पाँच वर्षो की कालावधि के लिए पद धारित करेंगे और वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

चूकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राज्य की उच्चत्तर शिक्षा के सम्यक् विकास में राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् की अहम भूमिका होगी। अतः राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् के उपाध्यक्ष के पद पर योग्य एवं अनुभवी व्यक्ति की पुनर्नियुक्ति का प्रावधान इस अधिनियम में किया जाना राज्यहित में है।

इसलिए अब, भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।–** (1) यह अधिनियम बिहार राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह दिनांक 23 सितम्बर, 2020 से प्रवृत हुआ माना जायेगा।

2. **बिहार अधिनियम 01, 2020 की धारा 6 का संशोधन** – बिहार अधिनियम 01, 2020 की धारा 6 की उप धारा (2) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

"(2) उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। उपाध्यक्ष 5 वर्षो की कालावधि के लिए पद धारित करेंगे एवं अधिकतम दो कालावधि के लिए नियुक्त होने के शर्त्त के साथ पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगें।"

3. **निरसन एवं व्यावृति** – (1) बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् (संशोधन–2) अध्यादेश, 2020 (बिहार अध्यादेश संख्या– 02, 2021) का निरसन किया जाता है।

(2). ऐसे निरसन के होते हुए भी बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् (संशोधन–2) अध्यादेश, 2020 (बिहार अध्यादेश संख्या– 02, 2021) के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

बि0स0मु0, 34 (विधि), 2020–21–डी0टी0पी0–750

उद्देश्य एवं हेतु

बिहार राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2018 (बिहार अधिनियम 01, 2020) की धारा 6 की उपधारा (2) में प्रावधानित है कि उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। उपाध्यक्ष पाँच वर्षो की कालावधि के लिए पद धारित करेंगे और वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

उपाध्यक्ष के पद पर योग्य एवं अनुभवी व्यक्ति की नियुक्ति की आवश्यकता को दृष्टिपथ में रखते हुए उपाध्यक्ष के पद पर पुनर्नियुक्ति संबंधी प्रावधान समाहित करने के लिए बिहार राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2018 (बिहार अधिनियम 01, 2020) की धारा 6 की उप धारा (2) में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

बिहार राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2018 (बिहार अधिनियम 01, 2020) की धारा 6 की उप धारा (2) में संशोधन हेतु इस विधेयक को अधिनियमित करना ही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है, जिसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

(विजय कुमार चौधरी)
भार–साधक सदस्य